(1)

R.M.M Law College. ~~[illegible]~~
Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi
Part. Time. Law Teacher
Subject. Evidence Act
Part. II Hindi

<u>कानूनी उपधारणा तथा तथ्यों की विवेचना तथ्यों की उपधारणा</u>

साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया
सामान्यतया किसी भी तथ्य को साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया
जाता है। परन्तु कुछ ऐसे तथ्य भी है जो बिना साक्ष्य
(presumption) के आधार पर प्रमाणित
की उपधारणा (presumption) के आधार पर प्रमाणित
मान लिया जाता है। उपधारणा किसी तथ्य के
अस्तित्व का एक ऐसा निष्कर्ष या अनुमान मान लिया जाता है
पहले से साबित होता है और वर्तमान में भी साबित
मान लिया जाता है। उपधारणाएं प्रकृति की सामान्य क्रम से
मान लिया जाता है जैसे रात्रि दिन के बाद होगी, जाड़े के
बाद गर्मी आएगा। गम्भीर चोट पर मृत्यु कारित
भी हो सकती है। ऐसा निष्कर्ष जो न्यायालयों
के द्वारा सम्भावित तर्क के आधार पर निकाला
जाता है और सन्तोष और विश्वास के आधार पर
साबित हो सकता है। जो न्यायालय द्वारा स्वयं
सिद्ध हो जाये। उपधारणा एक कृत्रिम उपधारणा भी
हो सकती है जो कानूनी और तथ्यात्मक
अनुमान होती है। किसी स्वतंत्र तथ्य को निकालने
के लिये न्यायधीश को निर्देश करता है। कानून
के आज्ञात्मक निर्णय के रूप में अभिव्यक्त की
जाती है, इसलिए न्यायधीश उसके अनुसार
निर्णय देने को बाध्य होते है।
कुछ खण्डनीय उपधारणा भी होती है जिसे
(Rebutible presumption) खण्डनीय उपधारणा कहते है।
जो साक्ष्य द्वारा खण्डनीय भी किया जा सकता है।

तथ्यों की उपधारणाएं - (Presumption of Fact)
तथ्यों की उपधारणा कल्पना है जो कुछ तथ्य के
साबित होने पर की जाती है।

ये शब्दों के तथ्यों की उपधारणा किसी तरह के अस्तित्व के तार्किक एवं विचारणीय आधार में माना जाता है। जो बिना किसी कानूनी तर्क निकाले जाते हैं। जो केवल तार्किक निष्कर्ष माना जाता है। यह मानव मस्तिष्क की रचना मानी जाती है। मानव कार्यों के आचरण और समाज की आदत तथा प्रथा पर आधारित है। ऐसे उपधारणा सबकी खण्डनीय होती है

जैसे कोई व्यक्ति लगातार सात वर्षों तक गायब हो जाता है तथा किसी ने उसे देखा नहीं तो वैसी स्थिति में विधि की उपधारणा होगी कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। अगर सात वर्षों के भीतर अगर मृत्यु साबित करनी होती इसके लिए तथ्य की आवश्यकता होगी कि उस व्यक्ति की मृत्यु हुई या नहीं।

Scanned with CamScanner